न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
–सह–
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, कैमूर (भभुआ)।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 583/2026
रामगढ़ थाना काण्ड संख्या– 70/2026

1.सनोज सिंह उर्फ कालीचरण सिंह, उम्र–46 वर्ष
पिता– कपिल मुनि सिंह, नवासी,
2. निशा देवी, पति–सनोज सिंह, उम्र–33 वर्ष
दोनों ग्राम– बदौरा, थाना–रामगढ़, जिला–कैमूर।

––––––––––––––––आवेदक

बनाम

बिहार सरकार ––––––––––––––––विपक्षी

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता :–श्री नरेंद्र कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता
सूचक की ओर से :– श्री चंद्रभान सिंह, विद्वान अधिवक्ता
सरकार की ओर से :- श्री शशिभूषण पाण्डेय, विद्वान विशेष लोक अभियोजक

आदेश की तिथि : 05.06.2026
उपस्थिति : प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वितीय,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
–सह–
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,
कैमूर (भभुआ)।

1. अग्रिम जमानत आवेदन संख्या सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। सूचक की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रभान सिंह का नवीन वकालतनामा दाखिल किया गया। पूर्व में विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा अद्यतन कांड दैनिकी दाखिल की जा चुकी है। विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख रामगढ़ थाना कांड सं0–70/2026 इस जमानत आवेदन के साथ संलग्न है।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि रामगढ़ थाना कांड सं0–70/26 सूचक श्रीराम सिंह के लिखित आवेदन पर दर्ज किया गया है जो अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–द्वितीय, मोहनियां के न्यायालय में लंबित है। आवेदकगण द्वारा इसके अलावा आवेदक द्वारा किसी भी वरीय न्यायालय में कोई नियमित जमानत आवेदन या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन का वाद यह है कि दिनांक 07.03.2026 को सूचक तिलक समारोह में सम्मिलित होने के लिए गया था। रात्रि में लगभग 11 बजे आवेदकगण के पुत्र सुरज उर्फ शेरू खॉ के द्वारा उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया गया। सूचक द्वारा जब सुरज उर्फ शेरू खॉ के घर जाकर अपनी पुत्री के बारे में पुछाताछ किया गया तो उनलोगो के द्वारा उनके साथ गाली–गलौज

किया गया एवं पुरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गयी। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र सिंह के द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी पांच दिनों के विलंब के साथ दर्ज की गयी है। धारा–115(2), 126(2) भा0न्याय संहिता आवेदकगण के उपर लागु नहीं होते हैं। धारा–96 भा0 न्याय सं0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति की है। आवेदकगण को पीड़िता को अपहरण करने में कोई हाथ नहीं है। आवेदकगण के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदकगण को गिरफतार होने तथा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की स्थिति में आवेदकगण को जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाए।

3. सूचक की तरफ से विद्वान अधिवक्ता चंद्रभान सिंह निवेदन करते हैं कि आवेदकगण पर नाबालिग लड़की को बहला–फुसलाकर लेजाने के षड्यंत्र में शामिल होने का सीधा आरोप है। अभियुक्तगण जमानत पाने का हकदार नहीं है।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक स्वीकार करते हैं कि आवेदकगण पर नाबालिग लड़की को बहला–फुसलाकर ले जाने के षड्यंत्र में शामिल होने का सीधा आरोप है। अभियुक्तगण जमानत पाने के हकदार नहीं है। अभियुक्तगण जमानत पाने का हकदार नहीं है। अतः आवेदकगण का जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाए।

5. उभयपक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद सूचक के लिखित आवेदन पर दिनांक 12.03.2026 को धारा–115(2), 126(2),96, 137(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) भा0न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज की गयी है। सूचक ने अपने आवेदन में यह आरोप लगाया है कि दिनांक 07.03.2026 को वे अपने परिवार के साथ गाँव में तिलक समारोह में गये थे। रात्रि 11 बजे उनके गांव का लड़का सुरज उर्फ शेरू सिंह ने बहला–फुसलाकर उनकी लड़की जिसकी उम्र 17 वर्ष है को अपहरण कर लिया। जब उन्हें इसकी जानकारी हुयी तो वे सुरज उर्फ शेरू सिंह के घर जाकर लड़के के माता–पिता से पुछताछ किये तो सनोज सिंह एवं लड़के की मां के द्वारा उनके साथ गाली–गलौज किया गया और धमकी दिया गया कि अभी तो लड़की को भगाये हैं, ज्यादा बोलोगे तो उसकी लड़की के साथ पुरे परिवार को जान से मरवा देंगे। कांड दैनिकी में वादिनी का पुनः बयान तथा साक्षी का बयान दर्ज किया गया है। सभी साक्षियों एवं ने आवेदकगण के द्वारा सूचक को गाली–गलौज एवं जान मारने की धमकी देने की बात बतायी है। अनुसंधान के कम में अनुसंधानकर्ता द्वारा

पीड़िता को बरामद किया गया है। पीड़िता का धारा–180 भा0ना0सु0सं0 के अंतर्गत बयान में पीड़िता ने कहा है कि उसके गांव के ओम शिव सिंह सुरज उर्फ शेरू सिंह के साथ उसके घर आये थे और दोनो के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया और उसका विडियो बना लिया गया। सुरज उर्फ शेरू सिंह के द्वारा बोला गया कि उसके साथ चलो नहीं तो विडियो वायरल कर देंगे। पीड़िता के बयान से स्पष्ट है कि आवेदकगण के द्वारा पीड़िता को अपहरण करने तथा उसके साथ लैंगिक हमला करने का कोई साक्ष्य या आरोप नहीं है। आवेदकगण पर वादी को गाली–गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है जो जमानतीय प्रकृति का है। आवेदकगण पर धारा–115(2), 126(2), 96, 137(2) भा0न्याय संहिता के अंतर्गत किसी तरह के अपराध करने का कोई साक्ष्य या आरोप नहीं है। अन्य धाराएं धारा–351(2), 351(3) एवं 352 भा0न्याय संहिता जमानतीय प्रकृति के हैं।

6. **अतः** आवेदकगण **के उपर लगाये गए आरोप की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण सनोज सिंह उर्फ कालीचरण सिंह एवं निशा देवी का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आदे**श पारित करने की तिथि से 60 दिनों के अंदर आवेदकगण सनोज सिंह उर्फ कालीचरण सिंह एवं निशा देवी के द्वारा विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस के द्वारा गिरफतार करने की स्थिति में आवेदकगण के द्वारा पंद्रह हजार रूपये का बंधपत्र के साथ समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर, आवेदकगण को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। आवेदकगण धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिये गए प्रावधानों के आलोक में शपथपत्र दाखिल करें।

कार्यालय आदेश की प्रति को विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न कर संबंधित न्यायालय में भेजें तथा इस अभिलेख को नियमानूसार अभिलखागार में जमा करें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

sd/-
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
–सह–
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,
कैमूर (भभुआ)।

Date of Judgment / Order	05.06.2026
Date of reserving judgment / order	NA
Uploading date	05-06-2026
Uploaded by	Neha Kumari (Steno)